**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 5338**

**उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025**

**एमएसएमई का बकाया ऋण**

**5338. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**
**श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति, आवेदनों की तुलना में प्राप्त कुल ऋण और एमएसएमई का वर्तमान में बकाया ऋण सहित कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन करने वाले एमएसएमई के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाया है कि ऋण तक सीमित पहुंच और भुगतान में देरी एमएसएमई के लिए अत्यधिक तरलता संबंधी बाधाएं पैदा कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ङ) क्या सरकार के पास एमएसएमई को बड़े निगमों की उच्च सौदेबाजी शक्ति के कारण उनके द्वारा लगाए गए शोषणकारी अनुबंध शर्तों और भुगतान समय सीमाओं से बचाने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की राज्य-वार संख्या **अनुबंध I** में दी गई है।

(ख) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, मार्च 2024 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिया जाने वाला बकाया कुल कार्यशील पूंजी ऋण ₹ 16,74,231.61 करोड़ है। आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिया जाने वाला राज्य-वार बकाया ऋण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ग) से (च) : एमएसएमई क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सहायता के निर्बाध प्रवाह के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशिष्ट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण आदि जैसी योजनाएं सम्मिलित हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई, वस्तुओं या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीदेगा। सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में सरकारी खरीद से संबंधित एमएसई की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन, एमएसई से सीपीएसई द्वारा की गई खरीद की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन शामिल है। भारत सरकार ने देश भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए समय पर भुगतान निपटान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम और पहल की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। अब तक देश में 161 एमएसईएफसी की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें से दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया राशि की निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC_MSEFCWelcome.aspx) लॉन्च किया।
- आत्मनिर्भर भारत घोषणाओं के बाद, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को देय राशि और मासिक भुगतान की रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया गया है।
- भारत सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना का.आ. 4845(ई) के माध्यम से सीपीएसई और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्न ओवर वाली सभी कंपनियों को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) पर खुद को शामिल करने का निर्देश दिया है, जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।
- भारत सरकार ने दिनांक 25.03.2025 की अधिसूचना का.आ. 1376 (ई) के तहत निर्देश दिया है कि सभी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिनके सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या डीम्ड स्वीकृति की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक है, उन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को अर्धवार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी (एच) में प्रावधान है कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, के बाद एमएसई को करदाता द्वारा देय कोई भी राशि केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में दी जाएगी।

*****

**अनुबंध-I**

**'एमएसएमई पर बकाया ऋण' लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5338, जिसका उत्तर दिनांक 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध**

**दिनांक 01/07/2020 से 15/03/2025 तक उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के तहत कुल उद्यमों का राज्य-वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य | सूक्ष्म | लघु | मध्यम | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 17,855 | 275 | 14 | **18,144** |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3,113,513 | 25,337 | 2,000 | **3,140,850** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 34,540 | 416 | 35 | **34,991** |
| 4 | असम | 1,071,011 | 10,102 | 887 | **1,082,000** |
| 5 | बिहार | 3,334,405 | 19,619 | 1,042 | 3,355,066 |
| 6 | चंडीगढ़ | 62,152 | 2,005 | 210 | **64,367** |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1,050,295 | 12,193 | 1,298 | **1,063,786** |
| 8 | दिल्ली | 1,078,412 | 41,566 | 5,034 | **1,125,012** |
| 9 | गोवा | 104,985 | 1,744 | 160 | **106,889** |
| 10 | गुजरात | 3,403,129 | 84,195 | 8,592 | **3,495,916** |
| 11 | हरियाणा | 1,520,364 | 34,810 | 3,329 | **1,558,503** |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 267,653 | 3,986 | 449 | **272,088** |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 705,479 | 5,283 | 361 | **711,123** |
| 14 | झारखंड | 1,235,850 | 9,078 | 667 | **1,245,595** |
| 15 | कर्नाटक | 4,045,487 | 47,254 | 4,432 | **4,097,173** |
| 16 | केरल | 1,459,795 | 19,354 | 1,479 | **1,480,628** |
| 17 | लद्दाख | 17,314 | 145 | 4 | **17,463** |
| 18 | लक्षद्वीप | 2,087 | 1 | - | **2,088** |
| 19 | मध्य प्रदेश | 3,875,413 | 30,398 | 2,310 | **3,908,121** |
| 20 | महाराष्ट्र | 7,904,060 | 108,112 | 12,472 | **8,024,644** |
| 21 | मणिपुर | 135,461 | 691 | 39 | **136,191** |
| 22 | मेघालय | 44,552 | 507 | 63 | **45,122** |
| 23 | मिजोरम | 42,534 | 211 | 11 | **42,756** |
| 24 | नागालैंड | 54,601 | 252 | 19 | **54,872** |
| 25 | ओडिशा | 1,918,887 | 15,116 | 1,113 | **1,935,116** |
| 26 | पुडुचेरी | 88,390 | 974 | 128 | **89,492** |
| 27 | पंजाब | 1,677,425 | 27,505 | 2,471 | **1,707,401** |
| 28 | राजस्थान | 3,437,035 | 43,199 | 3,452 | **3,483,686** |
| 29 | सिक्किम | 25,859 | 204 | 19 | **26,082** |
| 30 | तमिलनाडु | 4,898,748 | 60,443 | 5,358 | **4,964,549** |
| 31 | तेलंगाना | 2,339,575 | 28,506 | 3,167 | **2,371,248** |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 27,411 | 1,295 | 237 | **28,943** |
| 33 | त्रिपुरा | 258,561 | 1,014 | 74 | **259,649** |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 6,477,132 | 63,554 | 4,910 | **6,545,596** |
| 35 | उत्तराखंड | 496,891 | 6,427 | 544 | **503,862** |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 4,298,224 | 37,009 | 3,331 | **4,338,564** |
| | **कुल:-** | **60,525,085** | **742,780** | **69,711** | **61,337,576** |
| **रिपोर्ट दिनांकित :- 17/03/2025 12:05 अपराह्न** | | | | | |

स्त्रोतः उद्यम पोर्टल

**अनुबंध-II**

**'एमएसएमई पर बकाया ऋण' लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5338, जिसका उत्तर दिनांक 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध**

**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण (राज्य-वार) मार्च, 2024**

*खातों की सं. लाख में, बकाया राशि करोड़ ₹ में*

| क्र.सं | राज्य | 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|
| | | खातों की सं. | बकाया राशि |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.08 | 989.97 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 12.06 | 1,01,085.90 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.12 | 1,514.76 |
| 4 | असम | 3.57 | 28,729.48 |
| 5 | बिहार | 12.35 | 51,766.42 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.47 | 14,634.23 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 3.94 | 43,694.34 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.10 | 2,345.29 |
| 9 | दिल्ली | 6.95 | 1,79,638.00 |
| 10 | गोवा | 0.56 | 7,350.41 |
| 11 | गुजरात | 11.90 | 2,51,504.11 |
| 12 | हरियाणा | 6.75 | 1,22,258.78 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1.52 | 16,147.28 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 3.86 | 24,036.19 |
| 15 | झारखंड | 6.16 | 34,398.89 |
| 16 | कर्नाटक | 16.07 | 1,65,082.73 |
| 17 | केरल | 11.32 | 85,221.33 |
| 18 | लद्दाख | 0.09 | 745.13 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.01 | 625.99 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 15.14 | 1,01,220.23 |
| 21 | महाराष्ट्र | 29.81 | 4,25,437.84 |
| 22 | मणिपुर | 0.37 | 1,534.83 |
| 23 | मेघालय | 0.21 | 1,834.20 |
| 24 | मिजोरम | 0.12 | 851.34 |
| 25 | नागालैंड | 0.22 | 1,268.83 |
| 26 | ओडिशा | 8.82 | 53,516.04 |
| 27 | पुडुचेरी | 0.49 | 4,082.11 |
| 28 | पंजाब | 6.48 | 96,611.66 |
| 29 | राजस्थान | 11.03 | 1,51,219.10 |
| 30 | सिक्किम | 0.14 | 1,997.76 |
| 31 | तमिलनाडु | 23.50 | 2,81,696.93 |
| 32 | तेलंगाना | 7.52 | 1,16,962.81 |
| 33 | त्रिपुरा | 1.02 | 2,978.15 |
| 34 | उत्तराखंड | 2.69 | 26,006.06 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 27.45 | 1,95,413.75 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 24.55 | 1,31,256.60 |
| | **कुल** | **257.45** | **27,25,657.46** |

स्रोतः आरबीआई